[8.4 · लोन रिकवरी एजेंट के उत्पीड़न की शिकायत] — ख़ाली जगह (_____) भरें, कोष्ठक वाले संकेत हटा दें, फिर प्रिंट करें। यह लाइन भी हटा दें।

सेवा में,
शिकायत निवारण अधिकारी / शाखा प्रबंधक,
_____ (बैंक/फ़ाइनेंस कंपनी), _____ (शाखा/पता)

विषय: लोन खाता संख्या _____ की वसूली में रिकवरी एजेंट द्वारा उत्पीड़न की शिकायत।

महोदय/महोदया,
मैंने आपसे _____ (लोन का प्रकार) लिया है, जिसकी _____ क़िस्तें बाक़ी हैं। मैं बकाया चुकाने पर बात करने को तैयार हूँ।
पर आपकी ओर से वसूली एजेंट/कॉलर _____ (नाम/मोबाइल नंबर) ने:
☐ सुबह 8 बजे से पहले या शाम 7 बजे के बाद फ़ोन किए / घर आए
☐ गाली-गलौज की / धमकी दी
☐ मेरे परिवार, रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दोस्तों को फ़ोन/मैसेज किए
☐ सबके सामने बेइज़्ज़ती की / सोशल मीडिया पर मैसेज डाले
घटनाओं का विवरण (तारीख़, समय): _____

RBI के निर्देशों के अनुसार वसूली में धमकी, उत्पीड़न या परिवार-दोस्तों की निजता में दख़ल मना है, और एजेंट के व्यवहार की ज़िम्मेदारी बैंक/कंपनी की है।
अत: निवेदन है कि:
1. यह उत्पीड़न तुरंत बंद कराएँ और संबंधित एजेंट पर कार्रवाई करें;
2. बकाया रक़म का लिखित विवरण और वसूली एजेंसी का नाम-पता दें;
3. इस शिकायत की पावती और शिकायत संख्या दें।

स्थान: _____
तारीख़: _____

नाम: _____
पता: _____
मोबाइल: _____
हस्ताक्षर: _____